

# मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 25.05.2017

## राज्य सेवा परीक्षा-2016

### साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों हेतु सूचना

(गृह(पुलिस) विभाग, जेल विभाग तथा परिवहन विभाग  
के विज्ञापित पदों की आयु सीमा संबंधी जानकारी)

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 02/परीक्षा/2016/17.03.2016 एवं समय-समय पर जारी शुद्धिपत्रादि में विज्ञापित राज्य सेवा परीक्षा-2016 अंतर्गत विज्ञापित पदों की आयु सीमा एवं आयु छूटों आदि के संबंध में विज्ञापन में प्रावधान उल्लेखित है। विज्ञापन में गृह (पुलिस), जेल तथा परिवहन विभाग के पदों के संदर्भ में उल्लेख है कि उनकी अधिकतम आयु सीमा तथा छूट उनके भर्ती नियम अनुसार रहेगी।

2/ विज्ञापित किये गये पदों में गृह विभाग, गृह(पुलिस) विभाग, जेल विभाग तथा परिवहन विभाग के पद भी विज्ञापित किये गये हैं। इन विभागों के विज्ञापित पदों की आयु सीमा का विवरण निम्नांकित है -

| स. क्र. | पद का नाम          | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयु | शासकीय सेवक की अधिकतम आयु सीमा |
|---------|--------------------|-------------|------------|--------------------------------|
| 1       | उप पुलिस अधीक्षक   | 20 वर्ष     | 25 वर्ष    | 33 वर्ष                        |
| 2       | सहायक जेल अधीक्षक  | 18 वर्ष     | 30 वर्ष    | 38 वर्ष                        |
| 3       | परिवहन उप निरीक्षक | 21 वर्ष     | 35 वर्ष    | 40 वर्ष                        |

3/ उक्त पदों पर म0प्र0 के मूल निवासी अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग हेतु देय 05 वर्ष की छूट, महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष एवं विधवा परित्यक्ता को 05 वर्ष की अतिरिक्त आयु सीमा में छूट नियमानुसार प्रावधानित होगी।

4/ उक्त पदों में विज्ञापन में वर्णित परिशिष्ट-एक में वर्णित बिन्दु (दो) की कंडिका (तीन), (चार), (पांच), टिप्पणी यथा लागू होंगे।

5/ सभी प्रकार की छूटों को मिलाकर किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6/ शेष पदों की आयु सीमा विज्ञापन के परिशिष्ट-एक अनुसार निहित है।

7/ शेष शर्तें विज्ञापन, शुद्धिपत्रादित अनुरूप यथावत रहेंगी।

उप परीक्षा नियंत्रक (चयन)  
म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इन्दौर